

भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ

वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
भारत सरकार

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 06 जनवरी, 2026

अधिसूचना

क्रम सं. 05 (फा.सं.ए-50050/158/2025-प्रशा.।): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 6/4/2025-सीएस-1(एस)) दिनांक 31.12.2025 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति वर्ष 2025 के लिए चयनित सूची के विरुद्ध श्री निखिलेश को वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी के रूप में दिनांक 01.01.2026 (पूर्वाहन) से नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2025 के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित न्यायालय के मामलों के परिणाम और किसी अन्य संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधीन है:

- i. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)।
- ii. एसओ/एसओ ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित मामले, यदि कोई हों, जो आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में दायर किए गए हैं।

(जतिन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. : 011-24012586

सेवा में

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मिंटो रोड,  
नई दिल्ली-110002

प्रतिलिपि:- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।